HAMIRPUR POLICE

थाना सुमेरपुर **दिनांक 01.09.2022**

गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी की ₹15,16,000/- (पंद्रह लाख सोलह हजार रुपये) की संपत्ति कुर्क

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु व अपराधिक कृत्यों से चल/अचल संपत्ति के जब्तीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए **गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अश्वनी कुमार पुत्र श्री विजय पाल** निवासी ग्राम पलरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर की चालानी रिपोर्ट थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर के विरूद्ध धारा-14(1) गैगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर उपरोक्त अभियुक्त की सम्पत्ति एक मंजिला मकान कुल कीमत **15,16,000/- (पंद्रह लाख सोलह हजार रुपये)** कुर्क की गई।

उपरोक्त अभियुक्त अश्वनी कुमार अध्याय 16, 17 में 22 वर्णित अपराध कारित करने का पेशेवर अपराधी है, इसके द्वारा वर्ष 1995 से आपराधिक क्रिया कलापों में संलग्न रहकर घटनाएं कारित की गई है, अभियुक्त नवीन यादव गैग का सक्रिय सदस्य है एवं इसके द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी एवं मारपीट कर धन अर्जित करता है।उपरोक्त गैंग द्वारा वर्ष 2012 मे सुमेरपुर निवासी विश्राम सिंह के पुत्र की रेलवे मे नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधडी की गयी बैइमानी का पैसा मागने पर मारपीट गालीगलौज व धमकी दी गयी अभियुक्त द्वारा बेईमानी से धन अर्जित कर मकान बनवाया गया है। जिसके अंतर्गत उक्त अपराधी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1)मु0अ0सं0-140/95, धारा-302/504/506 आईपीसी

2)मु0अ0सं0-69/20, धारा-419/420/406/323/504/506 आईपीसी

3)मु0अ0सं0-312/20, धारा-323/504/506 आईपीसी

4)मु0अ0सं0-291/20, धारा-323/504/506 आईपीसी

5)मु0अ0सं0-03/01, धारा-3 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम

6)एनसीआर संख्या-176/21, धारा-323/504 आईपीसी

7)मु0अ0सं0-212/22, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट